झारखण्ड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)
या
समाहर्त्ता या समुचित सरकार
प्रारंभिक अधिसूचना
(अधिनियम–30/2013 की धारा–11(1) के अधीन)

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–**पलमरूआ**, थाना–**तिसरी**, थाना सं0–**69**, अंचल–**तिसरी**, जिला–गिरिडीह में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा **चरकी पहाड़ी मध्यम सिंचाई योजना** हेतु अपेक्षित है, चरकी पहाड़ी मध्यम सिंचाई योजना के माध्यम से बरसात के पानी को संगृहीत कर खेती एवं अन्य कार्य में उपयोग लाया जा सकेगा। इस परियोजना से सिंचाई की सुदृढ़ उपाय के साथ–साथ भू जला स्तर को बढ़ाने का भी कार्य करेगा। पानी के संधारण से आस पास के गॉव के कूप एवं चापानल में भी जल स्तर बेहतर रहेगा एवं पूर्व के तुलना में ग्रीष्म ऋतु में कम जल श्रोत सूखेगें, जिससे आम जन जीवन को लाभ होगा। प्रस्तावित परियोजना मुख्यतः उपजाउ वाले भूखंड में प्रस्तावित है। यह एक रेखीय परियोजना है तथा इस कोई अन्य विकल्प नहीं है। इस परियोजना के निर्माण के कारण एक भी परिवार भूमिहीन नहीं हो रहा है, न ही कोई भी परिवार विस्थापित हो रहा है। प्रभावित परिवारों की आंशिक भूमि ही ली जा रही है और परिवार की आय पर योग प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए आजिविका का प्रावधान नहीं किया गया है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम ग्राम–**पलमरूआ**, थाना–**तिसरी**, थाना सं0–**69**, अंचल–**तिसरी**, जिला–गिरिडीह में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.5635** एकड़, यानि **0.2280** हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है........

क्रसं.	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड–सं.)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	9	1306	निजी	कृषि	0.0200	द्वारिका पंडित वो राम किसून पंडित पिता बरके पंडित साकिन देह	प्लॉट 1306	1306	1307	1306

2	9	1307	निजी	कृषि	0.0200	द्वारिका पंडित वो राम किसून पंडित पिता बरके पंडित साकिन देह	प्लॉट 1307	1307	1314	1306
3	68	1314	निजी	कृषि	0.0700	मुखदेव पंडित वगैरह पिता स्व. हिरामन पंडित	प्लॉट 1314	1314	1327	1307
4	31	1327	निजी	कृषि	0.0250	जैनुल मियां पिता स्व. बासो मियां	प्लॉट 1353	1327	1328	1314
5	59	1328	निजी	कृषि	0.0200	खलील मियां पिता स्व. रमजान मियां	प्लॉट 1353	1328	1329	1327
6	6	1329	निजी	कृषि	0.0300	मो. क्युम वो मो. हुसैन पिता इब्राहीम मियां साकिन भूरगोडीह	प्लॉट 1329	1329	1330	1328
7	37	1330	निजी	कृषि	0.0150	अहमद हुसैन पिता स्व. कुर्बान मियां	प्लॉट 1330	1330	1331	1329
8	37	1331	निजी	कृषि	0.0100	मो. क्युम वो मो. हुसैन पिता इब्राहीम मियां साकिन भूरगोडीह	प्लॉट 1331	1331	1334	1330
9		1334	निजी	कृषि	0.0150	अज्ञात	प्लॉट 1350	1334	1350	1331
10		1338	निजी	कृषि	0.0450	मो. सलीम पिता स्व. रहीम मियां वो अब्दुल रजाक पिता स्व. असरफ मियां	प्लॉट 1338	1338	1401	1339
11	64	1339	निजी	कृषि	0.0850	रजाक कलाल पिता असरफ कलाल वो मो. क्युम पिता इब्राहिम कलाल	प्लॉट 1339	1339	1338	1350
12	12	1350	निजी	कृषि	0.0300	कासीम मिया पिता स्व. जुरफान मियां	प्लॉट 1350	1350	1339	1339
13	1	1393	निजी	कृषि	0.0400	कुर्बान अली वो अहमद अली वो मो. इसलाम वो मो. उसमान पिता चमरू मियां वो मो. हलीम पिता मो. हकीम साकिन देह	प्लॉट 1393	1412	1412	1412
14	21	1394	निजी	कृषि	0.0360	मोईन पिता डोभी मियां साकिन देह	प्लॉट 1394	1394	1412	1396
15		1401	निजी	कृषि	0.0700	अज्ञात	प्लॉट 1401	1401	1402	1338

16		1396	निजी	कृषि	0.0200	अज्ञात	प्लॉट 1396	1402	1394	1402
17		1402	निजी	कृषि	0.0100	अज्ञात	प्लॉट 1396	1412	1396	1401
18		1403	निजी	कृषि	0.0025	अज्ञात	प्लॉट 1403	1403	1394	1396
		कुल			**0.5635**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गिरिडीह के कार्यालय में किसी कार्य दिवस की कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू–वेद्यन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी गिरिडीह और उनके कर्मचारी..को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनो) के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपतियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी गिरिडीह के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

समाहर्त्ता, गिरिडीह

ज्ञापांक......1357....../भू0अ0 दिनांक......11/10/18......

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, गिरिडीह को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी जिला गजट पदाधिकारी, गिरिडीह को जिला गिरिडीह के आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, NIC गिरिडीह को जिला website:www.giridih.nic.in पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, तिसरी/जिला परिषद/संबंधित ग्राम पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/10

समाहर्त्ता, गिरिडीह